बीआरपीएल की ओर से
स्वतंत्रता दिवस पर
हार्दिक शुभकामनाएं

SYNERGY

BSES
BSES Rajdhani Power Limited

... दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम

अगस्त–2014

बीआरपीएल ने ऊर्जा कार्यक्रम का आयोजन ब्रेली में किया

बीआरपीएल अपने ऊर्जा कार्यक्रम को अगले स्तर पर ले जा चुका है। ऊर्जा संरक्षण के संदेशों को बढ़ावा, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा और बिजली चोरी को रोकने जैसे कार्यक्रमों को ब्रेल माध्यम में दृष्टिहीन छात्रों के लिए आयोजित किया गया।

हाल ही में डिस्कॉम ने दिल्ली के जाने माने दृष्टिहीन स्कूल जेपीएम सीनियर सेकेंड्री स्कूल और जनता आर्दश दृष्टिहीन विद्यालय में ऊर्जा कार्यक्रम का आयोजन किया था।

बारिश का मजा सावधानी के साथ

यह जानकर सभी को खुशी होगी कि मानसून ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। मानसून जहां अपने साथ तमाम् खुशियां लाता है वहीं कुछ समस्याओं और मुद्दों को भी साथ लाता है। जलभराव के कारण, इलेक्ट्रिसिटी संबधित दुर्घटनाएं और घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। कुछ सामान्य सावधानियां आपको सुरक्षित रखने और दुर्घटनामुक्त मानसून को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

- बिजली उपकरणों मसलन इलेक्ट्रिकल पोल्स, सब–स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, स्ट्रीट लाइट आदि से दूर रहें।
- बिजली उपकरणों के निकट बच्चों के खेलने के दौरान सर्तक रहें, अगर जाली लगी है तो भी।
- गीले हाथों से इलेक्ट्रानिक उपकरणों को न छुएं।
- घर में टेस्टर रखें। अगर आपके घरों का स्विच और दीवारें गीली हों तो उन्हें न छुएं। पहले चेक करने के लिए टेस्टर का इस्तेमाल करें, अगर बिजली का रिसाव हो रहा है। अगर जरुरत हो तो इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें।

'बिजली गुल' की शिकायत हेल्पलाइन नंबर, आईवीआरएस और एसएमएस के जरिए करें

कॉल करें 24x7	399–99–707
आईवीआरएस	• किसी रजिस्टर्ड नंबर से 399–99–707 पर कॉल करें* • भाषा का चयन करें • बिजली गुल के लिए 1 दबाएं, और आईवीआरएस आधारित सेवाओं के लिए ऑप्शन 2 चुनें • आपका अनुरोध स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएगा • अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल नहीं कर रहे हैं तो अनुरोध दर्ज कराने के लिए सीए/सीआरएन नंबर को पंच करें
एसएमएस	टाइप करें–बीएसईएस आरपी, स्पेस दें, एनसी लिखें, स्पेस दें, नौ अंकों वाला सीए नंबर टाइप करें और 5–61–61–07 पर भेज दें।

*आप अपने कांटेक्ट नंबर को 399–99–707 पर कॉल करके अथवा बीएसईएस की वेबसाइट www.bsesdelhi.com पर लॉग ऑन करके रजिस्टर करा सकते हैं

बिजली चोरी कानूनी अपराध

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनाधिकृत एंव गैर कानूनी तरीके से बिजली का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। इस अधिनियम के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध है जिसके तहत तीन साल तक जेल की सजा/जुर्माना या दोनों भी हो सकते है।

- हाल के कुछ समय में बीएसईएस ने बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ी छापेमारी की शुरुआत की है।
- अभियान के तहत 500 छापेमारी करने की योजना बनाई गई है।
- 150 से ज्यादा जगहों की पहचान कर छापेमारी की योजना को अंजाम दिया जा रहा है।
- रात और सुबह के समय बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विजिलेंस फलाइंग स्कॉड यानी सर्तकता उड़ान दस्ते को गठित किया गया।
- आधुनिक विश्लेषिकी और तकनीक के जरिए बीएसईएस अत्यधिक कुशलता के साथ छापेमारी की योजना को अंजाम दे रहा है।
- साल 2002 से बीएसईएस ने 2.5 लाख से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किये हैं और 7.56 लाख किलोवाट से अधिक की चोरी पकड़ी है।
- 1400 से ज्यादा लोगों को बिजली चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया।

बिजली चोरी को रोकने के अभियान में हमारी मदद करें। बिजली चोरी की सूचना 399–99–707 पर दे सकते है। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

बीएसईएस की सेवाओं का चलते फिरते लाभ उठायें। न्यु युर्जस फ्रेडली वैप साइट के जरिए एक्सेस करें।
फोन ब्राउजर से http://m.bsesdelhi.com पर लॉग ऑन करें।

आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) और स्ट्रीटलाइट संबंधी शिकायत के लिए फोन करें – 1800–103–9707

अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा हमारे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) और स्ट्रीटलाइट संबंधी शिकायतों के तत्काल समाधान के लिए बीआरपीएल ने एक पूर्ण समर्पित, टोल फ्री यानी शुल्क रहित नंबर – 1800–103–9707 की शुरुआत की है। यह नंबर चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करता है।

यह पूर्ण समर्पित नंबर, बीआरपीएल के मौजूदा हेल्पलाइन नंबर 399–99–707 के अलावा है। इस पर भी आपातकाल (आग एवं दुर्घटना) एवं स्ट्रीटलाइट की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। गौरतलब है कि यह हेल्पलाइन नंबर भी चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करता है।

Send in your feedback to Corporate Communications, BSES Rajdhani Power Limited, Regd. Off: BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN No U74899DL2001PLC111527, Tel No +91 11 399-99-707, Website www.bsesdelhi.com
To advertise in Synergy, please call Twohmp at 9650804539 or email : direct@twohmp.in
BSES Rajdhani Power Limited is not legally responsible for the contents of the advertisements in Synergy